ब अदालत अभिराय सिंह ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट, सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)

श्रीमती सीता पुत्री श्री किष्णु, निवासी गांव पुन्ना, डा0 डांड, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)
. .वादी।

बनाम

आम जनता . .प्रतिवादी।

उनवाद मुकद्दमा : जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत विलम्बित जन्म/मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

श्रीमती सीता पुत्री श्री किष्णु, निवासी गांव पुन्ना, डा0 डांड, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 01–07–1975 को गांव पुन्ना, ग्राम पंचायत डांड, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0) में हुआ था। लेकिन वो अज्ञानतावश अपने जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत डांड, तहसील सलूणी, जिला चम्बा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सके। अतः ग्राम पंचायत डांड के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में उसके जन्म का विलम्बित पंजीकरण करने के आदेश पारित किए जाएं।

अतः उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो उजरकर्ता दिनांक 26–09–2025 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजैन्ट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश कर सकता है। गैर हाजरी की सूरत में मुताबिक प्रार्थना–पत्र जन्म पंजीकरण करने हेतु आदेश पारित कर दिये जायेंगे एवं तारीख पेशी 26–09–2025 के बाद कोई भी उजर/एतराज विचारणीय न होगा।

आज दिनांक 23–08–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/–
अभिराय सिंह ठाकुर,
तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

————————